



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102026-277245
CG-DL-E-17102026-277245

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 824]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 15, 2026/आश्विन 23, 1948

No. 824]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2026/ASVINA 23, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2026

सा.का.नि. 895(अ).—केंद्रीय सरकार विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (चौथा संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में नियम 18 के उप-नियम (2) में खंड (ii) के बाद निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(ii क) किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित कोष के प्रयोजन से विकासकर्ता द्वारा निधि प्रबंधन इकाई के लिए लिखित रूप में पुष्टि किए गए स्थान के अनंतिम प्रस्ताव को स्थान का अनंतिम प्रस्ताव माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 1. - इस खंड, (ii ख) और नियम 22 के उप-नियम (3) के परंतुक के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "निधि प्रबंधन इकाई (एफएमई)" और "कोष" के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विनियम, 2025 के विनियम 2 के खंड (ढ) और (छछ) में प्रदत्त हैं।

स्पष्टीकरण 2.- इस खंड (ii ख) और नियम 19 के उप-नियम (4) और उप-नियम (6 ख) के परंतुक, नियम 21 ख के उप-नियम (1) और नियम 22 के उप-नियम (3) के परंतुक के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 के खंड (छ) और उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में प्रदत्त है।

(ii ख) किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित कोष के लिए, उक्त कोष की निधि प्रबंधन इकाई द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख को उक्त कोष का पट्टा विलेख माना जाएगा।

3. उक्त नियमावली में, नियम 19 में,-

(i) उप-नियम (4) में तीसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु, यह और भी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित किसी इकाई के लिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप में पहली बार दी गई मान्यता, पंजीकरण, लाइसेंस या प्राधिकार (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) को सेवा गतिविधि का प्रारंभ माना जाएगा और प्रारंभ की तारीख वही होगी जिस तारीख को ऐसी मान्यता, पंजीकरण, लाइसेंस या प्राधिकार दिया गया है।

परंतु यह भी कि चौथे परंतुक के तहत निर्धारित प्रारंभ तिथि वही रहेगी, भले ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा जारी मान्यता, पंजीकरण, लाइसेंस या प्राधिकार, जिसके आधार पर इकाई की शुरुआत अवधारित की गई थी, वह अब मान्य नहीं रही।"

(ii) उप नियम (6ख) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित किसी इकाई के लिए, अनुमोदन पत्र के नवीनीकरण का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित मानदंडों पर किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) सृजित रोजगार;

(ii) इकाई के कामकाज से जुड़े लागू कानूनों के उल्लंघन का मामला; और

(iii) वैधानिक भुगतानों में चूक के मामले, यदि कोई हो।"

4. उक्त नियमों में, नियम 21ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"21ख. वायुयान या पोत पट्टे पर देने संबंधी क्रियाकलापों से जुड़ी इकाइयां- (1) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में एक इकाई, जो वायुयान या जहाज पट्टे पर देने का कार्य करने के लिए अधिकृत है अथवा कोई व्यक्ति जो वायुयान या जहाज पट्टे पर देने का कार्य करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में एक इकाई स्थापित करने का प्रयोजन रखता है, यदि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी जाती है तो उसे एक अलग कार्यालय बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी, वह कार्यालय स्थान या जनशक्ति अथवा दोनों का उपयोग किसी अन्य इकाई का कर सकता है, जो वायुयान या जहाज पट्टे पर देने के क्रियाकलाप या ट्रस्ट और कंपनी सेवा प्रदाता कार्यकलाप करने के लिए अधिकृत हो, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया हो:

परंतु कार्यालय स्थान या जनशक्ति या दोनों का उपयोग केवल ट्रस्ट और कंपनी सेवा प्रदाता के साथ ही अनुमत होगा, जो इस उप-नियम के तहत अनुमत व्यक्ति को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है या प्रदान करने का प्रयोजन रखता है।

(2) उप-नियम (1) के तहत अनुमत व्यक्ति को स्थान और पट्टा विलेख के एक अलग अनंतिम प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होगी, और इस तरह उस इकाई के स्थान और पट्टा विलेख का अनंतिम प्रस्ताव जिसके साथ कार्यालय स्थान साझा किया जा रहा है, नियम 18 के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त होगा।"

5. उक्त नियमों के नियम 22 में, उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु इस उप-नियम में निहित कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित किसी कोष पर लागू नहीं होगा।"

[फा. सं. .के-43022/73/2023-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

नोट: – मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का. नि.54 (अ), दिनांक 10 फरवरी, 2006, के द्वारा माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि..... (अ), दिनांक के द्वारा माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2026

G.S.R. 895(E).— In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely: –

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Fourth Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 18, in sub-rule (2), after clause (ii), the following clauses shall be inserted, namely: –

“(ii a) For the purpose of a fund setup in any International Financial Service Centre, the provisional offer of space confirmed by the Developer in writing for the fund management entity shall be considered as the provisional offer of space.

Explanation 1.– For the purpose of this clause, (ii b) and proviso to sub-rule (3) of rule 22, the expressions “fund management entity (FME)” and “fund” shall have the same meanings as respectively assigned to them in clauses (n) and (gg) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority Regulations, 2025.

Explanation 2.– For the purpose of this clause, (ii b) and proviso to sub-rule (4) and sub-rule (6B) of rule 19, sub-rule (1) of rule 21B and proviso to sub-rule (3) of rule 22, the expression “International Financial Service Centre” shall have the same meaning as assigned to it in clause (g) of section 3 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019) and rules or regulations made thereunder.

(ii b) For a fund setup in any International Financial Service Centre, the Lease Deed executed by the fund management entity of the said fund shall be considered as Lease Deed of the said fund.”.

3. In the said rules, in rule 19, –

(i) in sub-rule (4) after third proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

“Provided also that for a Unit set up in an International Financial Service Centre, grant of the first recognition, registration, license or authorisation, by whatever name called, in its final form, by the International Financial Services Centres Authority, shall be considered as commencement of service activity and the date of commencement shall be the date of grant of such recognition, registration, license or authorisation:

Provided also that the date of commencement determined under the fourth proviso shall be the same even if the recognition, registration, license or authorisation issued by the International

Financial Services Centres Authority based on which the commencement of the Unit was so determined, ceases to be valid.”;

(ii) in sub-rule (6B), the following proviso shall be inserted, namely: –

“Provided that for a Unit set up in an International Financial Service Centre, the renewal of Letter of Approval shall be decided based on the recommendations of the International Financial Services Centres Authority on the following criteria, namely: –

(i) employment generated;

(ii) instance of violation of applicable statutes related to the functioning of the Unit; and

(iii) cases of default, if any, of statutory payments.”.

4. In the said rules, for rule 21B, the following rule shall be substituted, namely: –

"21B. Units dealing with aircraft or ship leasing activities. – (1) A Unit in an International Financial Services Centre, authorised to undertake aircraft or ship leasing or a person intending to setup a Unit in an International Financial Services Centre to undertake aircraft or ship leasing activity, if allowed by the International Financial Services Centre Authority not to maintain separate office, may utilize office space or manpower or both, of another Unit authorised to undertake aircraft or ship leasing activity or Trust and Company Service Provider activity, as may be approved by the International Financial Services Centre Authority:

Provided that utilisation of office space or manpower or both shall be allowed only with Trust and Company Service Provider, which is providing or intending to provide their services to the person allowed under this sub-rule.

(2) A person allowed under the sub-rule (1) shall not require a separate provisional offer of space and lease deed, and as such the provisional offer of space and lease deed of the Unit with which office space is being shared shall suffice for the purposes of rule 18."

5. In the said rules, in rule 22 after sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely: –

“Provided that nothing contained in this sub-rule shall apply to a fund setup in an International Financial Service Centre.”.

[F. No. K-43022/73/2023-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.

Note: –The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R 54 (E), dated the 10th February, 2006 and was last amended *vide* notification number G.S.R(E), dated the